

करना चाहिए।

2. बोरॉन-1.6 कि.ग्रा. बोरॉन (16.0 कि.ग्रा. बोरेक्स या 11 कि.ग्रा. डाइसोडियम टेट्राबोरेट पेन्टाहाइड्रेट) प्रति हैक्टर की दर से बुवाई के समय में प्रत्येक फसल में देना चाहिए।

अंतरर्वर्तीय खेती

सरसों की 6 पंक्तियों के साथ मसूर की दो पंक्तियाँ व अलसी की 2 पंक्तियों के साथ मसूर की एक पंक्ति बोने पर विशेष लाभ कमाया जा सकता है।

सिंचाई

ताल क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में वर्षा न होने पर अधिक उपज लेने के लिए बुआई के 40–45 दिन बाद व फली में दाना भरते समय सिंचाई करना लाभप्रद रहता है।

खरपतवार नियंत्रण

बुआई के तुरन्त बाद (48 घंटे के अंदर) खरपतवारनाशी रसायन पेन्डीमिथलीन 30 ई.सी. का 0.75–1 किग्रा. सक्रिय तत्व (2.5–3 ली. व्यापारिक मात्रा) प्रति है. की दर से छिड़काव किया जाना चाहिए। बुआई से 25–30 दिन बाद एक निराई करना पर्याप्त रहता है यदि दूसरी निराई की आवश्यकता हो तब बुआई के 40–45 की फसल अवस्था पर करना चाहिए। फसल बुआई से 45–60 दिन तक खरपतवार मुक्त होनी चाहिए। कीट एवं रोग नियंत्रण

(क) फलीछेदक - कीट प्रकोप होने पर फ्रोफेनोफॉस 50 ई.सी. को 2 मि.ली./ली. या इमामेविटन बेन्जोएट 5 एस.जी. 0.2 ग्राम/ली. पानी की दर से 500 ली. पानी /हे.की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

(ख) माहू (एफड)

इस कीट से बचाव के लिए प्रकोप आरम्भ होते ही डायमिथोएट 30 ई.सी. का 1.7 मि.ली. /ली. या इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 एस.एल.की 0.2 मि.ली./ली.पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

(ग) रतुआ (रस्ट)

1.समय से बुआई करें ; 2. रोगरोधी/सहनशील प्रजातियों जैसे पन्त मसूर-4, पन्त मसूर-639, पन्त मसूर-6, पन्त मसूर-7, के. एल. एस.-218, आई.पी.एल. 406, डब्लू. बी.एल.-77, एल. एल.-931, आई. पी. एल.-316, आदि का चुनाव करें ; 3. बचाव के लिए फसल पर मैंकोजेब 75 डब्लू.पी. कवकनाशी का 0.2 प्रतिशत (2 ग्राम./ली.) घोल बनाकर बुआई के 50 दिन बाद छिड़काव करें तथा दूसरा 10–12 दिन के बाद जरूरत के हिसाब से करें।

(घ) उकठा (विल्ट)

1.ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई करें ; 2.फसल चक अपनायें ; 3. बुआई से पूर्व बीज को थायरम व कार्बोन्डाजिम (2:1) 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके ही बोनी करें ; 4.उकठा निरोधक एवं सहनशील किस्मों जैसे पन्त मसूर 5, आई.पी.एल. –316, आर.वी.एल.-31, शेखर मसूर-2, शेखर मसूर-3 इत्यादि लगायें।

कटाई एवं मढ़ाई

जब 70–80 प्रतिशत फलियाँ पक जाएं, हँसिया से कटाई आरम्भ कर देना चाहिए। तत्पश्चात बण्डल बनाकर फसल को खलिहान में ले आते हैं। 3–4 दिन सुखाने के पश्चात बैलों की दायें चलाकर या थ्रेसर द्वारा भूसा से दाना अलग कर लेते हैं।

उपज

उन्नत सस्य विधियों एवं नवीन प्रजातियों की सहायता से प्रति हेक्टेयर 15–20 विंग्टल तक उपज प्राप्त की जा सकती है।

भण्डारण

भण्डारण के समय दानों में नमी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भण्डार गृह में 2 गोली एल्युमिनियम फास्फाइड/टन रखने से भण्डार कीटों से सुरक्षा मिलती है। भण्डारण के दौरान मसूर को अधिक नमी से बचाना चाहिए।

अधिक उत्पादन लेने हेतु आवश्यक बिंदु

- ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई तीन वर्ष में एक बार अवश्य करें।

- पोषक तत्वों की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पर ही हैं।
- बुवाई पूर्व बीजोपचार अवश्य करें।
- उकठा रोगरोधी/सहनशील किस्में: आई.वी.एल.-31, आई.पी.एल.-81 (नूरी), आई.पी.एल.-316, शेखर मसूर-2, शेखर मसूर-3 इत्यादि।
- रस्ट (किट्ट) रोधी/सहनशील किस्में: आई.पी.एल.-406, डब्लू.बी.एल.-77, पन्त मसूर-7, पन्त मसूर-6, शेखर मसूर-3, आई.पी.एल.-316।
- पौध संरक्षण के लिये एकीकृत पौध संरक्षण के उपायों को अपनाना चाहिए।
- खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें।
- तकनीकी जानकारी हेतु अपने जिले/नजदीकी कृषि विज्ञान केन्द्र से संपर्क करें।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा फसल उत्पादन (जुताई, खाद, बीज, सूख्म पौषक तत्व, कीटनाशी, सिंचाई के साधनों), कृषि यन्त्रों, भण्डारण इत्यादि हेतु दी जाने वाली सुविधाओं/अनुदान सहायता/लाभ की जानकारी हेतु संबंधित राज्य/जिला/विकास खण्ड स्थित कृषि विभाग से

अधिक जानकारी हेतु देखें—

एम-किसान पोर्टल- <http://mkisan.gov.in/>

फार्मर पोर्टल- <http://farmer.gov.in/>

किसान कॉल सेंटर- टोल-फ्री नं - 1800-180-1551

मसूर



लेखन एवं संपादन

डॉ. ए. के. तिवारी
डॉ. ए. के. शिवहरे
श्री विपिन कुमार

तकनीकी सहयोग

डॉ. संदीप सिलावट
श्री सतीश द्विवेदी

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

निदेशक

भारत सरकार

दलहन विकास निदेशालय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
छठी मंजिल, विन्ध्याचल भवन भोपाल-462004 (म.प्र.)



भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

दलहन विकास निदेशालय

सौजन्य से :



किसानों, कृषि एवं सहकारिता को समर्पित

गौरवमयी स्वर्ण जयंती वर्ष में

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआरप्रेटिव लिमिटेड

राज्य कार्यालय-मध्यप्रदेश

ब्लाक-2, त्रितीय तल, "पर्यावास", अरेरा हिल्स, भोपाल-462011



इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआरप्रेटिव लिमिटेड

राज्य कार्यालय-मध्यप्रदेश

दूरभाष: 0755-255883, 4036202, 4036217

वेबसाइट: <http://www.iffco.in>, Email: smm_bhopal@iffco.in

मुद्रक : कृषक जगत प्रॉटिटा वर्कर्स, भोपाल, दूरभाष : 9826255861

मसूर की खेती

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व बिहार में मुख्य रूप से मसूर की खेती की जाती है। बिहार के ताल क्षेत्रों में मसूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। चना तथा मटर की अपेक्षा मसूर कम तापकम, सूखा एवं नमी के प्रति अधिक सहनशील है। भारत में मसूर का प्रयोग दाल एवं दूसरे व्यंजन बनाने में किया जाता है। मसूर में लगभग 28प्रतिशत प्रोटीन होता है।

फसल स्तर

विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल में पहला व उत्पादन में दूसरा है। जिसकी भागीदारी कमशः 39.79 प्रतिशत और 22.79% है। विश्व में उत्पादन के हिसाब से कोरेशिया (2862 कि.ग्रा./हे.) प्रथम स्थान है। इसके बाद न्यूजीलैण्ड (2469 कि.ग्रा./हे.) है। कनाड़ा का उत्पादन में भारत की तुलना में प्रथम स्थान है क्योंकि इसकी उत्पादकता (1633 कि.ग्रा./हे.) भारत (611 कि.ग्रा./हे.) की तुलना में उच्च स्तर की है। (FAO State., 2014)

भारत में बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2015) मसूर का कुल क्षेत्रफल 14.79 लाख हे. व उत्पादन 10.38 लाख टन था। क्षेत्रफल में हिस्सेदारी के हिसाब से मध्य प्रदेश (39.56%) 5.85 लाख हे. प्रथम स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश (34.36%) व बिहार (12.40%) का स्थान आता है जबकि उत्पादन के हिसाब से उत्तर प्रदेश 36.65% (3.80 लाख टन) प्रथम स्थान पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश (28.82%) और बिहार (18.49%) की भागीदारी आती है। मसूर की अधिकतम उपज बिहार (1124 कि.ग्रा./हे.) में दर्ज की गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल (961 कि.ग्रा./हे.) और झारखण्ड (956 कि.ग्रा./हे.) का स्थान आता है। भारत में मसूर की राष्ट्रीय उपज 753 कि.ग्रा./हे. थी। सबसे कम उपज प्राप्त करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र (379 कि.ग्रा./हे.), छत्तीसगढ़ राज्य (410 कि.ग्रा./हे.) हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में (634 कि.ग्रा./हे.) पायी गई। (DES., 2015–16)

उन्नतशील प्रजातियाँ

(क) उकड़ा प्रतिरोधी किसें

पी.एल.-02, वी.एल.मसूर-129, वी.एल.-133, वी.एल.-154, वी.एल.-125, पन्त मसूर (पी.एल.-063), के.एल.वी.-303, पूसा वैभव (एल.-4147), आ. वी. एल.-31, आ. पी. एल.-316

(ख) छोटे दाने वाली प्रजातियाँ

पन्त मसूर-4, पूसा वैभव, पन्त मसूर-406, आ. पी. एल.-406, पन्त मसूर-639, डी.पी.एल-032 पी.एल.-5, पी. ए.-6, डब्लू. वी. एल.-77

(ग) बड़े दाने वाली प्रजातियाँ

डी.पी.एल.- 62, सुप्रता, जे.एल.-3, नूरी (आई.पी.एल.-81), पी.एल.-5, एल. एच. 84-6, डी.पी.एल -15, (प्रिया), लेन्स-4076, जे.एल.-1, आई. पी. एल.-316, आई. पी. एल.-406, पी.एल.-7

उपज अन्तर

सामान्यतः यह देखा गया है कि अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन की पैदावार व स्थानी किस्मों की उपज में लगभग 31% का अन्तर है। यह अन्तर कम करने के लिये अनुसंधान संस्थानों व कृषि विज्ञान केन्द्र की अनुशंसा के अनुसार उन्नत कृषि तकनीक को अपनाना चाहिए।

उपज

मसूर की खेती बलुई दोमट मिट्टी से लेकर काली मिट्टी तक में की जाती है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। तत्पश्चात एक दो जुताई हैरो या देशी हल से करें। मृदा नमी संरक्षण एवं भूमि समतलीकरण हेतु प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। मृदा का पी.एच. (4.5–8.2) होना चाहिए। 15 टन अच्छी सड़ी गोबर की



प्रजातियाँ					
राज्यवार प्रमुख प्रजातियों का विवरण					
राज्य	प्रजातियाँ	उपज कि.ग्रा./हे.	% वृद्धि	उपज कि.ग्रा./हे.	% वृद्धि
बिहार	पंत.एल. 406, पी.एल. 639, मलिका (के 75), एन.डी.एल.2, डब्लू.वी.एल. 58, एच.यू.एल.57, डब्लू.वी.एल. 77, अरुण (पी.एल. 777-12)	1537	995	54.5	
मध्यप्रदेश	मलिका (के 75), आई.पी.एल.81 (नूरी), जे.एल.3, एल. 4076, आई.पी.	1318	932	41.4	
एवं	एल.406, आई.पी.एल.316, डी.पी.एल. 62 (शेरी), आर. वी. एल.-31, पन्त मसूर-8	1720	1150	49.6	
छत्तीसगढ़	मलिका (के 75), एल. 4076, जे.एल.3, आई.पी.एल.81 (नूरी), पन्त मसूर-8	1683	1156	45.6	
गुजरात	जे.एल.3, आई.पी.एल.81 (नूरी), पंत एल. 4, पन्त मसूर-8, आई. पी. एल.-316	1530	1270	30.76	
हरियाणा	पंत एल. 639, पंत एल. 4, डी.पी.एल.15, सपना, एल. 4147, डी.पी.एल. 62 (शेरी),आई.पी.एल.406, हरियाणा मसूर-1	850	610	39.3	
महाराष्ट्र	जे.एल.3, आई.पी.एल.81 (नूरी), पंत एल. 4, पन्त मसूर-8, आई. पी. एल.-316	989	765	29.3	
पंजाब	पी.एल.639, एल.एल.147, एल.एच. 84-8,एल.4147, आई.पी.एल.406, एल.एल.931, पी.एल.7	941	715	31.6	
उत्तरप्रदेश	पी.एल. 639, मलिका, एन.डी.एल.1, डी.पी.एल. 62, आई.पी.एल.81, आई. पी.एल. 316, एल. 4076,एच.यू.एल 57,डी.पी.एल.15, आई.पी.एल.406 (अंगूरी), पंत एल. 8 (पी.एल.063), डी.पी.एल. 62 वी.एल. मसूर-103, पी.एल. 5, वी.एल.507, पी.एल. 6, वी.एल. 129, वी.एल. मसूर 514, वी.एल.133, पी.एल.-7, वी.एल. 126	1270	1060	9.6	
राजस्थान	जे.एल. मसूर-103, पी.एल. 5, वी.एल.507,पी.एल. 6, वी.एल. 129, वी.एल. मसूर 514, वी.एल.133, पी.एल.-7, वी.एल. 126	1795	1311	36.9	
उत्तराखण्ड	जे.एल. मसूर-103, पी.एल. 5, वी.एल.507,पी.एल. 6, वी.एल. 129, वी.एल. मसूर 514, वी.एल.133, पी.एल.-7, वी.एल. 126	778	460	69.1	
जम्मू और कश्मीर	जे.एल. मसूर-103, पी.एल. 5, वी.एल.507,पी.एल. 6, वी.एल. 129, वी.एल. मसूर 514, वी.एल.133, पी.एल.-7, वी.एल. 126	1465	1145	27.9	
		1554	1071	45.0	
स्रोतः—सीडनेट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं भा.द.अनु.सं.—भा.कृ.अनु.प., कानपुर।					

राज्य	प्रजाति	उपज कि.ग्रा./हे.	% वृद्धि
उन्नत	स्थानीय किसान उपज	स्थानीय किसान	
दिल्ली	एल.-4076 शिवालिक	स्थानीय	
	एल.-4147 (पूसा वैभव)	पूसा वैभव	
बिहार पन्त	मसूर-406	स्थानीय	
	अरुण	—	
	एच.यू.एल	—	
मध्य प्रदेश	जे.एल.एस.-1	स्थानीय	
	आई.एल.-1	—	
	जे.एल. -3	—	
जम्मू कश्मीर	शालीमार एम.-1,	स्थानीय	
	पी.एल.-4	—	
	डी.पी.एल.-15	—	
पंजाब	एल.एल. -931	एल.एल.-699	
राजस्थान	सपना	स्थानीय	
उत्तर प्रदेश	के.एल.एस.-218,	स्थानीय	
	डब्लू.वी.एल.-1,	—	
	के.पी.एम.आर.-522	—	
	एच.यू.डी.पी.-15	—	
उत्तराखण्ड	वी.एल. मसूर -125	स्थानीय	
दक्षिण बंगाल	डब्लू.वी.एल.-58,	स्थानीय	
	डब्लू.वी.एल. -81	—	
	स्रोतः—भा.द.अनु.सं.—भा.कृ.अनु.प., कानपुर, वर्ष 2007–08 से 2011–12 का औसत	1554	1071
			45.0

खाद् / हैक्टेयर से भुकाव करें।

बुआई का समय

सामान्यतः मसूर 1 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक बोई जाती है। इसका बोने का समय क्षेत्र विशेष की जलवायु अनुसार भिन्न हो सकता है। जैसे उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बुआई का सर्वोत्तम समय अक्टूबर के अन्त में, जबकि उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र में नवम्बर का द्वितीय पखवाड़ा उपयुक्त होता है। क्योंकि इस समय यहाँ पर्याप्त नमी बुआई के समय होती है। इस तरह मध्य क्षेत्र जहाँ नमी मुख्य रुकावट है, अग्रेती बुआई मध्य अक्टूबर में उपयुक्त रहती है।

बीजदर 40–45 कि.ग्रा. प्रति हे. (छोटे दानों वाली प्रजातियों के लिए)

55–60 कि.ग्रा. प्रति हे. (बड़े दानों वाली प्रजातियों के लिए)

60–80 कि.ग्रा. प्रति हे. (ताल क्षेत्र के लिए)

बीजशोधन

बीज